

**अनुदान संख्या 85 – जैव प्रौद्योगिकी विभाग**  
**GRANT No. 85 - DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY**

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	2411,53,00	2411,57,00	2379,10,17	-32,46,83
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				32,37,00

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

**Notes and comments**

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	15993.00	2.00	..	-2.00
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-15993.00			
मुख्य शीर्ष “3425”	Major Head “3425”				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	221929.00	235132.77	235128.72	-4.05
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	13201.77			

(I) ₹15995.00 लाख का प्रावधान (जुलाई, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹15495.00 लाख (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष “2552” – “अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान – अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता – जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास (जिसका नाम बदलकर जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान संसाधन एवं सुविधाएं किया गया)” के अंतर्गत पूर्वोक्त तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹433.80 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹13375.69 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष “3425” – “अन्य – अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता – जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा विकास” के अंतर्गत जुलाई, 2018 और फरवरी, 2019 में ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹13373.74 लाख था।

(I) Provision of ₹15995.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in July, 2018 and February, 2019) remained wholly unutilized under two heads; of these ₹15495.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) alone accounted for under Major Head “2552”- “Other Scientific Research – Assistance to Other Scientific Bodies - Biotechnology Research and Development (Renamed as Biotechnology Research and Development, Human Resources Development, Research Resources and Facilities)” - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under one head saving of ₹433.80 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹13375.69 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs in July, 2018 and February, 2019 under Major Head “3425” - “Others – Assistance to Other Scientific Bodies – Biotechnology Research and Development”. Actual excess, however, was ₹13373.74 lakhs.